



Neutral Citation No. -2026:AHC:18450

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 878 वर्ष 2025

अंतिम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अरविन्द कुमार यादव, पवन कुमार,

प्रिंस कुमार श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मृदुल कुमार तथा भूमि प्रबन्ध समिति की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :-

“ए. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4 को निर्देशित/आदेशित किया जाए कि वे ग्राम- जरों, परगना- अंगुली, तहसील- शाहगंज, जनपद- जौनपुर स्थित गाटा संख्या 503, क्षेत्रफल 0.178 हेक्टेयर को, सहायक कलेक्टर (न्यायिक), प्रथम श्रेणी/ तहसीलदार, शाहगंज, जनपद जौनपुर द्वारा वाद संख्या 4596 सन् 2022, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202214360104596 (ग्राम सभा बनाम सूर्य नाथ एवं अन्य), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 22.10.2024 के अनुपालन में, अतिक्रमणमुक्त कराएं।

बी. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4 को निर्देशित/आदेशित किया जाए कि वे मामले की जांच कर अतिक्रमणकारियों अर्थात् प्रतिवादी संख्या 6 से 8, जो भू-माफिया हैं, के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करें, अधिमानतः निर्धारित अवधि के भीतर।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, राज्य की ओर से व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत अपील में पारित प्रतिप्रेषण आदेश के अनुपालन में, तहसीलदार द्वारा निजी प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 29.7.2025 को बेदखली एवं हर्जाना का आदेश पारित किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली एवं हर्जाना आदेश दिनांक 29.7.2025 के बावजूद निजी प्रतिवादी संख्या 4 विवादित भूखण्ड पर निर्माण करा रहा है; अतः विवादित भूखण्ड के संबंध में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.7.2025 के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं तथा निजी प्रतिवादियों को विवादित भूखण्ड पर निर्माण करने से रोका जाए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूखण्ड के संबंध में तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.7.2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत बेदखली एवं हर्जाना का आदेश पारित किया गया है।

7. उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन पारित अंतिम आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है; अतः धारा 67 के अधीन पारित आदेशों के क्रियान्वयन/निष्पादन के लिए प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रस्तुत लोकहित याचिका इस अवलोकन के साथ निरस्त की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु विधि सम्मत समुचित कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 27, 2026

पी.एस.*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।